



### काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

बीएड 2024—2026 सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया नीचे दिए गए राउंड में केवल उन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिनको यूपी बीएड, जेईई 2024—26 में रैंक आवंटित की गई है —

#### प्रथम चरण:- मुख्य काउंसलिंग

फेस 1- स्टेट रैंक 01 से 75000 स्टेट रैंक तक

फेस 2- स्टेट रैंक 75001 से अंतिम स्टेट रैंक तक और छूटे हुए अभ्यर्थी \* / \*\*

\*ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउन्ड फेस 1 में प्रतिभाग नहीं किया है, वह प्रथम राउन्ड फेस 2 में पंजीकरण के पश्चात प्रतिभाग कर सकते है।

\*\* ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम राउन्ड फेस 1 कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, वह सभी प्रथम राउन्ड फेस 2 में सीधे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं।

द्वितीय चरण :-पूल काउंसलिंग (सभी स्टेट रैंक धारकों के लिए)

सभी छूटे हुए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउन्ड के प्रथम एवं द्विततीय फेस में प्रतिभाग नहीं किया है अथवा जिन्हे कोई सीट आवंटित नहीं हुई है ऐसे सभी अभ्यर्थी पूल काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।

तृतीय चरण :- सीधे प्रवेश (सभी स्टेट रैंक धारकों के लिए)

चतुर्थ चरण :- अल्पसंख्यक संस्थानों में सीधे प्रवेश

For the admission in B Ed 2024-2026 session Counselling process will be held online in the below given rounds for Only those candidates who have been allotted a rank in the U.P. B.Ed., J.E.E. 2024-26

First Round: Main Counseliing

Phase -1 Form State Rank 1 to State Rank 75000

Phase -2 Form State Rank 750001 to Last State Rank and all left candidates \*/\*\*

\* All such candidates who have not participated in First Round Phase 1 of counselling can participte by registering themselves for First Round

Phase 2 of counselling.

\*\* All such candidates those who have not allotted seats in First Round

Phase 1 can directly go for choice filling.

Second Round: Pool Counseling (for all state rank holders)

\*\* All such candidates who have not participated or not allotted seats in Phase 1 and Phase 2 of First Round can participate in Pool Counselling.

Third Round: Direct Admissions (for all rank holders)

Fourth Round: Direct Admission on Minority Seats





## काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

#### 1. महत्वपूर्ण निर्देश

#### **Important Instructions**

केवल वही अभ्यर्थी जिन्हे U.P. B.Ed. JEE 2024-26 की मेरिट सूची मे रैंक आवंटित की गयी है, वह प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र है।

Candidates who have been allotted a rank in the U.P. B.Ed., J.E.E. 2024-26 merit list are eligible to participate in counselling.

- 1.1 जो अभ्यर्थी 2024, में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें काउन्सिलंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंकतालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  - It is mandatory for those candidates who have appeared in eligibility qualifying examination in 2024, have to upload their scanned copy of mark sheets of qualifying examination at the time of counselling registration.
- 1.2 अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि पंजीकरण हेतु अपने स्वयं के या अपने माता—पिता के विवरण जैसे मोबाईल नं०, ई—मेल, बैंक खाता विवरण का ही उपयोग किया गया हो।

It is adviced to the candidate to use their own or parents' details like mobile, email and bank accounts.

- 1.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिकतम विकल्प दें।

  Candidates are advised to give maximum choices to avoid rejection in allotment.
- 1.4 अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने पर किसी भी दशा में अग्रिम शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

No advance fee will be refunded if candidate has been allotted a seat.

2. शुल्क की वापसी हेतु दी जाने वाला विवरण -

#### Information required for refund of fee (if any) -

2.1 शुल्क की वापसी (यदि कोई हो) के लिए बैंक खाते का विवरण।

Bank Account Details for refund of fees (if any).

- खाता संख्या
- ❖ Account Number
- खातेदार का नाम
- Name of Account holder
- आई०एफ०एस०सी० कोड
- IFSC Code
- 🏞 बैंक का नाम
- Bank Name
- 💠 शाखा
- \* Branch





### काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

- 2.2 यह खाता केवल अभ्यर्थी या उसके पिता या माता के नाम पर ही होना चाहिए।
  - The account should be in the name of the Candidate or his/her Father or Mother only.
- 2.3 यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती हैं, तो पहली काउन्सलिंग मैं अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम फीस या पूल काउन्सलिंग में पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी इस खाते में की जायेगी।
  - In case the candidate is not allotted a seat, the advance institute fee paid in first counselling and full institute fee paid in pool counselling would be refunded into this account only.
- 2.4 अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे फीस वापसी हेतु अपने जनधन खाते का विवरण कदापि न भरें क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है।
  - Candidates are advised not to submit their **Jandhan Account** details for fee refund as due to the credit limit refunds to such accounts will not be possible.

नोट : अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की अथवा निरस्त किए गए चेक-लीफ की इमेज को अपलोड करना है जिसमें उपर्युक्त विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो। इमेज 10 KB के आकार में JPG/JPEG प्रारूप में हो।

**Note**: Candidate has to upload image (in JPG/JPEG format, size of 100 KB) of cancelled cheque leaf of front page of passbook where above mentioned account details are available.

- 3. अर्हक परीक्षा 2024 में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- 3.1 जो अभ्यर्थी 2024 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें काउन्सिलंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंकतालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  - It is mandatory for those candidates who have appeared in eligibility qualifying examination in 2024 have to upload their qualifying examination mark sheet at the time of counselling registration. For this they would require a scanned copy of mark sheet of qualifying examination in case appearing in 2024.
- 4. प्रथम चरण (फेज-1 एवं फेज-2)

#### First Round (Phase-1 & Phase-2)

- 4.1 पंजीकरण :- सर्वप्रथम अभ्यर्थियो को काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेत् पंजीकरण करना होगा।
  - Registration: At first candidate has to do registration for participation in counselling.
- 4.1.1 अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।
  - Candidates have to login using their login detail.
- 4.1.2 काउन्सलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क भुगतान
  - Counselling fee and Advance Institute fee payment





## काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

- 4.1.3 पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को रूपये 5750/— (काउन्सलिंग शुल्क के रूप में 750/— रूपये और अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में 5000/— रूपये) का भुगतान केवल ऑनलाईन मोड (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से करना होगा।
  - Candidates who have completed registration process have to pay Rs. 5750/- (Rs. 750/- as counselling free and Rs. 5000/- as advance institute fee) through online modes (Net Banking, Debit Card and Credit Card) only.
- 4.1.4 यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज की अग्रिम फीस रू05000 / उनके द्वारा विवरण में दिए गए खाते में वापस कर दी जायेगी।
  - In case the candidate is not allotted a seat the advance institute fee of Rs. 5000/- would be refunded into the account details provided by them.
- 4.1.5 यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती हैं, यद्यपि वह इसकी पुष्टि नहीं करता है तथा उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो कॉलेज की अग्रिम फीस रू० 5000/— वापस नहीं की जायेगी। काउन्सिलिंग में सम्मिलित हो रहे ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक के अन्तिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। ऐसे अभ्यर्थियों को आवंटित सीट के उपरान्त यदि अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण हुआ तो ऐसी दशा में पंजीकरण शुल्क(रू० 750/— मात्र) को छोडकर समस्त शुल्क वापस कर दिया जायेगा।
  - If the candidate is allotted a seat and he/she does not confirm it, the advance institute fee of Rs. 5000/- will not be refunded. If the candidate is failed to clear the eligibility qualifying examination and the seat is allotted to them, then in such a case all the fees except the registration fee (Rs. 750/- only) will be refunded to them.
- 4.1.6 यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि करता है तो यह राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित की जाएगी।
  - If candidate is allotted seat and he/she confirms it his amount will be adjusted in the institute fee.
- 4.1.7 यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि महाविद्यालय से वापस की जायेगी।
  - If the advance institute fee is more than the fee of the allotted institute the excess amount will be refunded from the allotted institute.
- 4.1.8 काउन्सलिंग शुल्क रुपये 750/- नॉन रिफंडेवल है।

  The counselling fee of Rs. 750 is non refundable.
- 4.2 विकल्प भरना :--
  - **Choice Filling:**
- 4.2.1 केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे।
  - Only registered candidates will be able to fill the choices.





### काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

- 4.2.2 व्याइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थी भरे गये विवरण को सत्यापित करना होगा।

  Before choice filling the candidates have to verify the details.
- 4.2.3 संस्कृत बी०एड० महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों (3) वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी को **हाँ** का चयन करना होगा।
  - For choice in Sanskrit B.Ed. Institute, Candidate has to select 'Yes' if the candidate has Sanskrit in their all three (3) years of graduation.
- 4.2.4 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग (Gender) को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प। डिफाल्ट रूप से यह उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरा है। Option to correct their gender in case it is incorrect. By default this is set on the option they have filled in the online application form.
- 4.2.5 काउन्सिलंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पंसद के अनुसार अपने विकल्प भरने होंगे।

  Candidates registered for counselling have to fill their choices according to their preferences.
- 4.2.6 अभ्यर्थी जितने चाहें उतने विकल्प दे सकते हैं।

  Candidates can give as many choices as they want.
- 4.2.7 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिकतम विकल्प दें।

  Candidates are advised to give maximum choices to avoid rejection in allotment.
- 4.2.8 अंतिम सबिमशन तक विकल्पों का पूर्वांवलोकन और पुनर्व्यवस्थापन किया जा सकता है।

  Choices can be previewed and rearranged any number of times till final submission.
- 4.2.9 विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग—आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिये। जो डेटा सेव नहीं किया गया है वह समाप्त हो जायेगा और उसे पुनः भरना पड़ेगा।
  - Choice can be filled in multiple sessions. There is option to save these choices before logging out. Data not saved will be lost.
- 4.2.10 अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम है और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज के विकल्प को भरना होगा।
  - The choices filled by the candidates are final and cannot be changed once locked. Thus in their own interest, candidates must fill in a sufficiently large number of choices of institute in required order of preference.
- 4.2.11 यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प भर दिया है, लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक यदि लॉक नहीं किया, तो यह विकल्प आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगा।
  - If a candidate has submitted the choices but not locked till the last date of choice filling is over, it will automatically be locked before seat allotment.





### काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

- 4.3 कॉलेज आवंटन -
  - College Allotment -
- 4.3.1 कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक (State Rank) के साथ—साथ काउन्सलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने हुए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा।

  Institute allotment will be done strictly on the basis of state rank of the candidate as well as institutes they have selected in order of preference during counselling.
- 4.3.2 राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और राजकीय महाविद्यालयों में ही किया जायेगा।

  State reservation policy will be followed for Aided and Government Institutes only.
- 4.3.3 सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर उपलब्ध होगा, अन्यत्र नहीं।

  Seat allotment result will be available on candidate's login only and no where else.
- 4.3.4 सहायता प्राप्त, सरकारी और स्विवत्तपोषित महाविद्यालयों में ई०डब्ल्यू०एस० आरक्षण का पालन किया जायेगा। EWS reservation will be followed in Aided, Government and Self Financing Institutes.
- 4.4 अनन्तिम आवंटन—सह—पुष्टि—पत्र डाउनलोड किया जाना।

refunded to the candidate.

- Provisional Allotment cum Confirmation letter downloads.
- 4.4.1 जिन अभ्यर्थियों को कालेज आवंटित किया गया है उन्हें पोर्टल पर अनन्तिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करने के पूर्व ACCEPT बटन पर क्लिक करना होगा।
  - Cnadidates who have been aloted college will have to click on **ACCEPT** button before downloading the Provisional Allotment cum Confirmation letter
- 4.4.2 यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक है, तो अभ्यर्थियों को अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करने से पहले कॉलेज आवंटन के तीन दिनों के भीतर शेष राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। In case the institute fee is more than the advance institute free, the candidates will have to pay the balance amount online within three days of institute allotment before they can download Provisional Allotment cum Confirmation letter.
- 4.4.3 यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से कम है तो वे इस अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क की राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी।

  In case the institute fee is less than the advance institute fee they can download this Provisional Allotment cum Confirmation letter. The excess fee amount would be
- 4.4.4 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा ई०डब्ल्यू०एस० अभ्यर्थियों को कॉलेज शुल्क से अधिक होने पर, शेष राशि का भुगतान करना होगा।
  - SC, ST & EWS candidates will have to pay the remaining amount of balance fee if the institute fee is more than the advance institute fee.





## काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

4.5 आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया जाना -

#### Report to allotted institute -

- 4.5.1 अभ्यर्थी को आवंटन की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा।
  - The candidate has to report to allotted institute within three days from the date of allotment with all the original documents along with provisional allotment cum confirmation letter.
- 4.5.2 आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

  The original documents of the candidates will be physically verified by the Principal of the allotted institute.
- 4.5.3 यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
  - If the documents of candidates are not found valid by the institute authority, his/her candidature shall be cancelled.
- 4.5.4 रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज

#### **Documents required for reporting.**

- 4.5.4.1 अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी।

  Candidates would need to carry the originals and self attested copy of the following documents.
- 4.5.4.2 बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी वेबसाइट से अनंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र का प्रिन्टआउट।
  Printout of the Provisional Allotment cum Confirmation letter from Bundelkhand
  University, Jhansi website.
- 4.5.4.3 अभ्यर्थी के बी०एड०, जे०ई०ई०-2024 के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड की प्रति।

  Copy of Application form, Admit Card and Score Card of the B.Ed., J.E.E.-2024.
- 4.5.4.4 जन्म तिथि का प्रमाण : दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र।

  Proof of Date of Birth : Class 10<sup>th</sup> Certificate.
- 4.5.4.5 अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र।
  - All Mark Sheets and Certificates up to Qualifying Examination.
- 4.5.4.6 निर्धारित प्रारुप में मूल रूप में श्रेणी, उप श्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र।

  Category, Sub Category and Weightage Certificates in original in the prescribed format
- 4.5.4.7 सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र।
  - Original Photo ID issued by Government.





### काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

- 4.5.4.8 अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार के दो फोटो।
  - Two passport sized photographs of candidates.
- 4.5.4.9 सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियाँ।
  - Copies of all Fees Receipts.
- 5. द्वितीय चरण :- पूल काउन्सलिंग

#### **Second Round Pool Counselling**

- 5.1 पहले राउंड की काउन्सिलंग पूरी होने के बाद कॉलेजों में रिक्त सीटों को पूल काउन्सिलंग से भरा जाता है।

  After completion of the first and second phase of Round-1 counselling, the vacant seats in institutes are filled by pool counselling.
- 5.2 पंजीकरण

#### Registration

- 5.2.1 पूल काउन्सिलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने पहले राउंड की काउन्सिलिंग में भाग नही लिया या पहले राउन्ड में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है या जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में विफल रहते हैं। For pool counselling only those candidates are eligible who have not participated in first round of counselling or those not allotted any college in first round or those who fail to take admission against the allotted college seat.
- 5.2.2 जिन अभ्यर्थियों को राउन्ड 1 में सीट आवंटित की गई थी, लेकिन सीट कन्फर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया, उन्हें पूल काउन्सलिंग (राउन्ड 2) में भाग लेने पर पूरी फीस रुपये 52000/— (रू0 51250/— महाविद्यालय शुल्क एवं रू0 750/— काउन्सलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क) पुनः देनी होगी। कॉलेज की एडवांस फीस रू0 5000/— उन्होंने राउन्ड 1 में भुगतान किया था उसे वापस नहीं किया जाएगा।
  - Those candidates who were allotted seat in round 1 but did not pay the seat confirmation fee will have to pay full fees i.e. Rs. 52000/- (Rs. 51,250/- as institute fee and 750/- as Counselling registration fee) if they participate in the pool counselling (round 2). The advance institute fee of Rs. 5000/- they has paid in round 1 will not be refunded.
- 5.2.3 पूल काउन्सलिंग की प्रक्रिया पहली काउन्सलिंग की तरह ही है। अभ्यर्थी को पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान करना होगा। तत्पश्चात् विकल्प भरना होगा।

  Procedure for pool counselling is the same as the same as that of the first counselling
  - Candidates have to register, pay the registration fee and full institute fee and then fill the choices.
- 5.2.4 अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।

  Candidates have to login using their credentials.





### काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

- 5.2.5 लॉग इन करने पर उन्हें अपने बैंक खाते का विवरण भरना होगा।Upon login they have to fill the details of the bank account.
- 5.2.6 2024 में अर्हता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी जिनका अर्हता परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है उन्हें अपने अंक भरने होंगे और अपनी मार्कशीट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
  - Candidates appearing in the qualifying examination in 2024 and whose result has been declared have to enter the marks and upload the scanned copy of their mark sheet.
- 5.3 काउन्सलिंग शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान -

#### Counselling fee and full institute fee payment -

5.3.1 अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग शुल्क के रूप में रूपये 750/— व रूपये 51,250/— पूर्ण कॉलेज शुल्क के रूप में (जो अप्रतिदेय है) जमा करने होंगे। यदि अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया जाता है तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी।

Counselling fee is Rs. 750/- which is non refundable. They have to also deposit Rs. 51,250/- as full institute fee. This amount will not be refunded if the candidate is allotted a institute.

#### 5.4 विकल्प भरना

#### **Choice Filling**

- 5.4.1 च्वाइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित विवरण का सत्यापित करना होगा।
  Before choice filling the candidates have to verify the following.
- **5.4.2** संस्कृत के लिए विकल्प : यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों (3) वर्षों में संस्कृत है और संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेने का इच्छुक है तो अभ्यर्थी का **हाँ** का चयन करना होगा।
  - Option for Sanskrit: Candidate has to select 'Yes' if the candidate has Sanskrit in their all three (3) years of graduation and wants to get admission in Sanskrit institutes.
- 5.4.3 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग (Gender) के गलत होने की स्थिति में सही करने पर विकल्प दिया गया है। डफाल्ट रूप से यह उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है।
  - Option to correct their gender in case it is incorrect. By default this is set on the option they have filled in the online application form.
- 5.4.4 काउन्सिलंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प भरने होंगे।

  Candidates registered for counselling have to fill their choices according to their preferences.
- 5.4.5 अभ्यर्थी जितने चाहें विकल्प दे सकते हैं।
  - Candidates can give as many choices as they want.





### काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

- 5.4.6 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें।

  Candidates are advised to give more choices to avoid rejection in allotment.
- 5.4.7 अंतिम सबिमशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन और पुनर्व्यवस्थापन किया जा सकता है।

  Choice can be previewed and rearranged any number of times till final submission.
- 5.4.8 विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग—आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए। जो डेटा सेव नहीं किया गया है वह समाप्त हो जायेगा और उसे पुनः भरना पड़ेगा।

  Choice can be filled in multiple sessions. There is option to save these choices before

Choice can be filled in multiple sessions. There is option to save these choices before logging out. Data not saved will be lost.

5.4.9 अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम हैं और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। इस प्रकार, अपने स्वयं के हित में, अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज के विकल्प को भरना होगा।

The choices filled by the candidate are final and cannot be changed once locked. There fore it is advised that candidates must fill maximum number of choices of colleges in the required order of preference.

5.4.10 यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है, लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं किया गया है, तो यह सीट आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगा।

If a candidate has submitted the choices but not locked after last date of choice filling is over, it will automatically be locked before seat allotment.

5.5 कॉलेज आवंटन

#### **College Allotment**

- 5.5.1 कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य के रैंक (State Rank) के साथ—साथ काउन्सलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा।
  - Institute allotment will be done strictly on the basis of state rank of the candidate as well as the institutes they have selected in order of preference during counselling.
- 5.5.2 स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में ई०डब्ल्यू०एस० आरक्षण का पालन किया जायेगा।
  - EWS reservation will be followed in Self Financing Institutes.
- 5.5.3 सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर उपलब्ध होगा, अन्यत्र नहीं।
  Seat allotment result will be available on candidates login.
- 5.6 अनन्तिम आवंटन-सह-पुष्टि-पत्र डाउनलोड किया जाना
  - Provisional Allotment cum Confirmation letter download.





### काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

- 5.6.1 जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है, उन्हें बी०एड० जे०ई०ई०—2024 की वेबसाइट के माध्यम से अनंतिम आवंटन सह पृष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा।
  - Candidates who have been allotted institute will have to download Provisional Allotment cum Confirmation letter through the B.Ed. J.E.E.-2024 website.
- 5.6.2 यदि कोई अभ्यर्थी, जिसे महाविद्यालय आवंटित किया गया है, महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करता है तो महाविद्यालय की 51,250 / रूपये की फीस वापस नहीं की जायेगी।
  - If any candidate, to whom institute is allotted does not report to institute then the institute fee of rupees 51,250/- will not be refunded.
- 5.6.3 यदि पूल काउन्सलिंग में किसी अभ्यर्थी को कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया जाता है तो कॉलेज की फीस रूपये 51,250 / – उसके बैंक खाते में वापस कर दिया जायेगा जिसका विवरण अभ्यर्थी द्वारा काउन्सलिंग पंजीकरण के समय दिया गया है।
  - If no institute is allotted to a candidate in pool counselling then institute fee of Rs. 51,250/- will be refunded to his/her bank account whose details are given by the candidate at the time of counselling registration.
- 5.7 आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया जाना

#### Report to allotted college

- 5.7.1 अभ्यर्थी को आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ सभी मूल दस्तावेजों के साथ आवंटन की तारीख से तीन दिनों के भीतर आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा।
  - The candidate has to report to allotted institute within Three days from the date of allotment with all the original documents along with allotment cum confirmation letter.
- 5.7.2 आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

  The original documents of the candidates will be physically verified by the Principal of the allotted institute.
- 5.7.3 यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
  - If the documents of candidates are not found valid by the institute authority, his/her candidature shall be cancelled.
- 5.8 रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज

#### **Documents required for reporting**

5.8.1 अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी।

Candidates would need to carry the originals and self attested copy of the following documents.





## काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

- 5.8.2 बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी वेबसाइट से अनंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र का प्रिन्टआउट।
  Printout of the provisional Allotment cum Confirmation letter from Bundelkhand
  University, Jhansi Portal.
- 5.8.3 बी०एड० जे०ई०ई०-2024 के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड की प्रति।

  Copy of Application form, Admit Card and Score Card of the B.Ed. J.E.E.-2024.
- 5.8.4 जन्म तिथि का प्रमाण : दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र।
   Proof of Date of Birth : Class 10<sup>th</sup> Certificate.
- 5.8.5 अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र।

  All Mark Sheets and Certificates upto Qulifying Examination.
- 5.8.6 निर्धारित प्रारूप में मूलरूप में श्रेणी, उप श्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र।

  Category, Sub Category and Weightage Certificates in original in the prescribed format.
- 5.8.7 सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र।
  Original Photo ID issued by Government.
- 5.8.8 अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार के दो फोटो।

  Two Passport sized photographs.
- 5.8.9 सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियाँ।

  Copies of all Fees Receipts.
- 6. तृतीय चरण :-- सीधा प्रवेश

#### **Third Round Direct Admission**

- **6.1** केवल वही अभ्यर्थी काउन्सलिंग के इस चरण में भाग ले सकते हैं जिनके पास B.Ed. -JEE-2024 की वैध रैंक है।
  - Only those candidates can take part in this round of counselling who have a valid state rank of B.Ed. -JEE-2024.
- 6.2 सीधे प्रवेश की प्रकिया में अभ्यर्थी सम्बन्धित महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश सुनिश्चित करायेंगे।
  For direct admission candidate has to present in the college.
- 6.3 अभ्यर्थियों को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया जा सकता है जब उस कॉलेज में प्रथम और पूल काउन्सलिंग के बाद सीटें खाली हों।
  - Candidates can be admitted to any institute only if seats are vacant in that institute after the first and pool counselling.
- 6.4 निम्नलिखित अभ्यर्थी सीधे प्रवेश के लिए पात्र है।

  The following candidates are eligible for direct admission.





### काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

- 6.4.1 जिन्हें प्रथम चरण की काउन्सलिंग में किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है।

  Those who have not been admitted to any college in first round of counselling.
- 6.4.2 जिन्हें पूल काउन्सलिंग में किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया है।

  Those who have not been admitted to any institute in pool counselling.
- 6.4.3 जिन्होंने पूर्व में किसी भी चरण में काउन्सलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है।

  Those who have not participated in any previous round of the counselling process.
- 6.5 कॉलेज बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण का सत्यापन करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश देगा।
  - The institute will verify the candidate's details from Bundelkhand University, Jhansi website and give direct admission to candidates as per the rules.
- 6.6 अभ्यर्थी का सत्यापन बी०एड० जे०ई०ई०—2024 परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओ०टी०पी० को दर्ज करके करना होगा।
  - Verification of candidate will have to be done by entering the OTP sent to the registered and alternate mobile numbers of the candidate on the B.Ed. J.E.E.-2024 counselling portal.
- 6.7 सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग शुल्क रुपये 750 रूपये का भुगतान केवल ऑनलाईन मोड (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से करना होगा।
  - Candidates will have to pay the counselling fee of Rs. 750/- through online mode (Net Banking, Dabit Card & Credit Card) only for participating in the direct admission process.
- 6.8 प्रवेश शुल्क कॉलेज स्तर पर जमा किया जायेगा।

  Admission Fee will deposited at the institute level.
- 7. चतुर्थ चरण :- अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश
  - **Round 4 Direct Admission on Minority Seats**
- 7.1 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश का अधिकार होता है किन्तु प्रायः अनेक अल्पसंख्यक महाविद्यालय स्वयं की परीक्षा आयोजित न करके संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची से चयन करके अपनी प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करते हैं तथा बाद में प्रवेशित छात्रों की सूची को सत्यापित करने हेतु प्रेषित करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक समय तथा श्रम लगता है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा अल्पसंख्यक संस्थानों की सुविधा हेतु काउन्सलिंग का एक अतिरिक्त चक्र प्रस्तावित किया जा रहा है।





## काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

Minority institutes have the right of admission to minority seats by conducting their own entrance examination, but often many minority institutes do not conduct their own examination and complete their admission process by admitting students from the merit list of candidates who have appeared in the joint entrance examination. Then they send the list of admitted students for verification. This process takes a lot of time and labor. To facilitate the process and the minority institutions, an additional round of counselling is being proposed.

- 7.2 अल्पसंख्यक संस्थान पहले ही अपनी गैर अल्पसंख्यक सीटों (कॉलेज की शेष 50% सीटें) के लिए नियमित काउन्सलिंग (राउन्ड–1, राउन्ड–2 और राउन्ड–3) में भाग ले चुके हैं।
  - Minority institutions have already participated in the regular counselling (Round-1, Round-2 & Round-3) for their non minority seats (50% seats in the institute).
- 7.3 काउन्सिलिंग का यह चक्र सिर्फ अल्पसंख्यक सीटों के लिए ही होगा (कॉलेज की शेष 50% सीटें) अगर अल्पसंख्यक संस्थान चाहते हैं तो काउन्सिलिंग के इस दौर के माध्यम से अल्पसंख्यक सीटों को भर सकते हैं।

  This round of counselling will be for minority seats only (remaining 50% seats of institute). Minority institutions can fill the minority seats through this round of counselling if they want.
- 7.4 काउन्सलिंग का यह चक्र अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं है। केवल वे अल्पसंख्यक संस्थान जो बी०एड० जे०ई०ई०–2024 की मेरिट सूची के अभ्यर्थियों से अपनी अल्पसंख्यक सीटें भरना चाहते हैं भाग ले सकते हैं।
  - This round of counselling is not compulsory for the minority institutions. Only those minority institutions who wish to fill their minority seats through candidates of the merit list of B.Ed. J.E.E.-2024 need to participate.
- 7.5 अल्पसंख्यक संस्थान बी०एड० की शर्तों को पूरा कर उस विश्वविद्यालय जिससे वह सम्बद्ध है, की सहमित से किसी अन्य प्रक्रिया से अल्पसंख्यक सीटों पर अपना प्रवेश करा सकते हैं। इस स्थिति में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची का सत्यापन नहीं किया जाएगा।
  - Minority institutes can also carry out their admissions on minority seats by any other process by fulfilling the conditions of B.Ed. admissions with the consent of the University to which they are affiliated. In this case the list of admitted students will not be verified by the Bundelkhand University, Jhansi.





## काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

- 7.6 काउन्सिलिंग का यह चक्र कॉलेज स्तर पर किया जाता है। सीधा प्रवेश में भाग लेने वाले कॉलेज द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा—िनर्देश जल्द ही बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की वेबसाइट पर दिए जायेंगे।
  - This round of counselling is done at the institute level. Detailed guidelines for the process to be adopted by institutes participating in the process will be given soon on the Bundelkhand University, Jhansi website.
- 7.7 अल्पसंख्यक दर्जे वाले कॉलेजों में नियमित सीटों पर प्रवेश काउन्सलिंग प्रक्रिया के राउन्ड—1, राउन्ड—2 और राउन्ड—3 के दौरान किया जाएगा। राउन्ड—4 में केवल अल्पसंख्यक सीटों पर ही दाखिलें होंगे।
  - Admissions in regular seats in institutes with minority status will be done during round-1, round-2 and round-3 of the counselling process. In round-4 admissions will be carried out on minority seats only.
- 7.8 केवल वही अभ्यर्थी काउन्सलिंग के इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक है।

  Only those candidates can take part in this round of counselling who possesses a valid state rank.
- 7.9 अभ्यर्थियों को किसी भी अल्पसंख्यक कॉलेज की अल्पसंख्यक सीटों पर ही प्रवेश दिया जा सकता है। Candidates can be admitted to any institute on minority seats only.
- 7.10 जिन अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग के किसी दौर में प्रवेश नहीं दिया गया है, केवल वे ही अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश के पात्र हैं।
  - Only those candidates who have not been admitted in any round of counselling are eligible to be admitted on minority seats.
- 7.11 कॉलेज, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण का सत्यापन करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश देगा।
  - The institute will verify the candidate's details from the Bundelkhand University, Jhansi website and give direct admission to candidates as per the rules.
- 7.12 अभ्यर्थी का सत्यापन बी०एड० जे०ई०ई०—2024 परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नम्बरों पर भेजे गए ओ०टी०पी० को दर्ज करके करना होगा।
  - Verification of candidate will have to be done by entering the OTP sent to the registered and alternate mobile numbers of the candidate on the B.Ed. JEE-2024 counselling portal.
- 7.13 अल्पसंख्यक सीटों पर सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को काउन्सलिंग शुल्क रूपये 750/— का भुगतान करना होगा।
  - Candidates will have to pay the counselling fee of Rs. 750/- for participating in the admission process on minority seats.





## काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

- काउन्सलिंग के विभिन्न चरणों में जमा किया जाने वाला शुल्क
   Fee to be submitted at various stages of counselling.
- 8.1 प्रथम चरणः मुख्य काउंसलिंग (फेस-1 एवं फेज-2)

#### First Round Main Counselling (Phase-1 & Phase-2)

	Head	Amount (Rs.)	Remarks
8.1.1	काउन्सलिंग शुल्क	750.00	काउन्सलिंग शुल्क नॉन रिफण्डेवल है।
	Counselling Fee		Counselling Fee is non refundable.
8.1.2	अग्रिम कॉलेज शुल्क	5000.00	यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं की जाती है तो अग्रिम कॉलेज
	Advance Institute		शुल्क उनके द्वारा दिये गये विवरण में दिये गये खाते में वापस कर दिये
	Fee		जायेंगे। यह राशि पूल काउन्सलिंग में समायोजित नहीं की जाएगी।
			In case the candidate is not allotted a seat the advance
			institute fee would be refunded into the account details
			provided by them. This amount will not be adjusted in
			the pool counselling.
			यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है तो वह सीट कन्फर्मेशन
			फीस का भुगतान करता है तो यह अग्रिम राशि, कॉलेज शुल्क में
			समायोजित की जाएगी।
			If candidate is allotted seat and he/she pays the seat
			confirmation fee, this amount will be adjusted in the
			institute fee.
			यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित हो जाती है लेकिन वह सीट कन्फर्मेशन
			फीस का भुगतान नहीं करता है तो अग्रिम कॉलेज शुल्क वापस नहीं
			किया जाएगा।
			If the candidate is allotted a seat but he/she does not
			pay the seat confirmation fee, the advance institute fee
			will not be refunded.
			यदि अग्रिम महाविद्यालय शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक
			है तो अतिरिक्त राशि आवंटित महाविद्यालय से वापस की जाएगी।
			If the advance institute fee is more than the fee of the
			allotted institutes the excess amount will be refunded
			from the allotted institute.





## काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

		Head	Amount (Rs.)	Remarks
8	.1.3	सीट कन्फर्मेशन फीस		आवंटित कॉलेज की फीस के अनुसार भुगतान किया जाना है।
		Seat Confirmation		To be paid as per fee of allotted institute.
		Fee		

#### 8.2 द्वितीय चरण:- पूल काउंसलिंग

#### Second Round pool Counselling

गल है। efundable. में सीट आवंटित की गयी थी,
efundable. में सीट आवंटित की गयी थी,
में सीट आवंटित की गयी थी,
का भुगतान नहीं किया गया था,
-2) में भाग लेने पर पूरी फीस
फीस रूपये 5,000 / — जिसका
किया था, समायोजित नहीं की
ere allotted seat in round
eat confirmation fee will
ney participate in the pool
The advance institute fee
aid in round 1 will not be
ा नहीं होती है तो कॉलेज की
में दिये गये खाते में वापस कर
e paid in this round will
didate is not allotted a
टेत किया जाता है तो यह राशि
t be refunded if the
nstitute.





## काउन्सलिंग दिशा–निर्देश (Counselling Guidelines)

#### 8.3 तृतीय चरण:— सीधा प्रवेश

#### **Third round Direct Admission**

	Head	Amount	Remarks
		(Rs.)	
8.3.1	काउन्सलिंग शुल्क	750.00	काउन्सलिंग शुल्क नॉन रिफण्डेवल है।
	Counselling Fee		Counselling Fee is non refundable.
8.3.2	अग्रिम कॉलेज शुल्क		सीधे प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश शुल्क का भुगतान कॉलेज में करना है।
	Advance Institute		Admission fee has to be paid to the institute in direct
	Fee		admission process.

#### 8.4 चतुर्थ चरण:- अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश

#### **Fourth Round Direct Admission on Minority Seats**

	Head	Amount	Remarks
		(Rs.)	
8.4.1	काउन्सलिंग शुल्क	750.00	काउन्सलिंग शुल्क नॉन रिफण्डेवल है।
	Counselling Fee		Counselling Fee is non refundable.
8.4.2	अग्रिम कॉलेज शुल्क		सीधे प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश शुल्क का भुगतान कॉलेज में करना
	Advance Institute Fee		है।
			Admission fee has to be paid to the institute in
			direct admission process.

<sup>\*</sup>काउन्सलिंग के प्रत्येक चरण के लिए अलग काउन्सलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

<sup>\*</sup>Separate counselling fee has to be paid for each round of counselling.